भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*273
22 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम

***273. श्रीमती रंजीता कोली:**
श्री सुमेधानंद सरस्वती:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपरेशन ग्रीन्स स्कीम का ब्यौरा तथा प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू जैसी फसलों के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के सीकर और भरतपुर जिलों सहित इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्र संगठनों का श्रेणी-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक किए गए व्यय का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या उक्त योजना की समीक्षा के उपरांत किसानों तथा आम लोगों को लाभ प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के बारे में दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *273 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): मंत्रालय, टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए एफ,पी,ओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए नवंबर, 2018 से ऑपरेशन ग्रीन्स की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ फसलोत्तर हानि में कमी; किसानों को मूल्य प्राप्ति में वृद्धि; उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और प्रसंस्करण सुविधाओं में वृद्धि और टॉप फसलों की मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन शामिल है। इस योजना के दो घटक अर्थात् अल्पकालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय हैं।

i. <u>अल्पकालिक उपाय</u>: मूल्य में निर्धारित गिरावट की स्थिति के दौरान 41 अधिसूचित फसलों के परिवहन/भंडारण के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ii. <u>दीर्घकालिक उपाय</u>: टॉप (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए चिन्हित समूहों में परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है और पात्र परियोजना लागत के 35%-50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टॉप फसलों से 22 विकारी फसलों के दायरे का विस्तार किया गया है।

(ख) से (घ): यह स्कीम मांग आधारित है और स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार/जिले-वार बजट आवंटित नहीं किया जाता है । खर्च किए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**बजट आवंटन**	**व्यय**
2018-19	200.00	5.50
2019-20	32.48	2.84
2020-21	38.22	38.21
2021-22 (दिनांक 15.03.2022 तक)	74.50	60.58
कुल	**345.20**	**107.13**

वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, किसान उत्पादक संगठन / कंपनियां (एफ,पी,ओ, / एफ,पी,सी,), सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, खाद्य प्रोसेसर, लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट, निर्यातक, लॉजिस्टिक ऑपरेटर, खुदरा विक्रेता आदि हैं।

(ड.) किसान/एफ,पी,ओ, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बागवानी उत्पादों की फसलोत्तर हानि को कम करने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता करता है।

*****